Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
July-December 2023 4(2), 4321–4325

IMPACT OF WOMEN'S RELIGIOUS MARRIAGE RIGHTS ON THEIR SOCIO-ECONOMIC PERSPECTIVE

महिलाओं के विवाह-संबंधी धार्मिक अधिकारों का उनके सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर प्रभाव

Shabana Anjum [1]

[1] Department of History, Purnia University, Bihar, India

DOI
10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.5048

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2023 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

English: Religious marriage rights play a significant role in shaping the socio-economic status of women in different societies. These rights affect access to education, employment, property ownership and economic independence. This research paper explores the relationship between religious marriage rights and socio-economic status, analysing how different religious doctrines and legal frameworks affect the empowerment or marginalisation of women. In addition, it presents studies from different regions to highlight the inequalities that exist and progress made in ensuring equal rights. The study concludes that while religious marriage rights can provide women with social security and identity, they also often reinforce patriarchal structures, which can limit women's socio-economic progress.

Hindi: विवाह से संबंधित धार्मिक अधिकार विभिन्न समाजों में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अधिकार शिक्षा, रोजगार, संपत्ति स्वामित्व और आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। यह शोध पत्र धार्मिक विवाह अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बीच के संबंध की पड़ताल करता है, यह विश्लेषण करता है कि विभिन्न धार्मिक सिद्धांत और कानूनी ढांचे महिलाओं के सशक्तिकरण या हाशिए पर जाने को कैसे प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, यह विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन प्रस्तुत करता है ताकि समान अधिकारों को सुनिश्चित करने में मौजूद असमानताओं और प्रगति को उजागर किया जा सके। यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि जहां धार्मिक विवाह अधिकार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और पहचान प्रदान कर सकते हैं, वहीं वे अक्सर पितृसत्तात्मक संरचनाओं को भी मजबूत करते हैं, जो महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को सीमित कर सकते हैं।

1. प्रस्तावना

धार्मिक परंपराएं और कानूनी व्यवस्थाएं महिलाओं के विवाह संबंधी अधिकारों को गहराई से प्रभावित करती हैं, जिससे उनके दायित्व, भूमिकाएं और अधिकार निर्धारित होते हैं। विवाह केवल एक व्यक्तिगत संबंध नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक संस्था भी है, जो विभिन्न धर्मों की मान्यताओं और परंपराओं से गहराई से जुड़ी होती है। प्रत्येक धर्म और समाज में विवाह के संदर्भ में अलग-अलग नियम और रीति-रिवाज होते हैं, जो महिलाओं के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता और उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को प्रभावित करते हैं। विवाह में महिलाओं की स्थिति केवल पारिवारिक संबंधों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका प्रभाव उनकी शिक्षा, रोजगार, संपत्ति पर स्वामित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक गतिशीलता पर भी पड़ता है। यदि महिलाओं को विवाह में समान अधिकार दिए जाते हैं, तो वे शिक्षा और करियर के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके विपरीत, यदि धार्मिक विवाह संबंधी अधिकारों को पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से संचालित किया जाता है, तो इससे महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस शोध पत्र में इस बात का विश्लेषण किया गया है कि विवाह से संबंधित धार्मिक मान्यताएं और अधिकार महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इसमें विभिन्न संस्कृतियों और कानूनी व्यवस्थाओं की तुलना की गई है, ताकि यह समझा जा सके कि अलग-अलग

समाजों में महिलाओं के विवाह संबंधी अधिकारों में कैसी असमानताएं मौजूद हैं और उनके प्रभाव क्या हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य यह भी है कि धार्मिक और कानूनी दृष्टिकोण से महिलाओं के अधिकारों में मौजूद अंतर को उजागर किया जाए और यह समझा जाए कि इन अधिकारों के विस्तार और सुधार से महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है।

2. परिभाषा और कानूनी ढांचा

विवाह से संबंधित धार्मिक अधिकार उन विशेष अधिकारों और दायित्वों को दर्शाते हैं जो धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर महिलाओं को विवाह में प्राप्त होते हैं। ये अधिकार महिलाओं की विवाह में सहमति, दहेज या वर-वधू मूल्य प्रणाली (dowry या bride price), तलाक के अधिकार, संपत्ति और उत्तराधिकार कानून, तथा वित्तीय सहायता जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हैं। विभिन्न धर्मों में विवाह के प्रति दृष्टिकोण भिन्न होता है, और ये अधिकार धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक प्रभावों और सामाजिक परंपराओं के अनुसार अलग-अलग परिभाषित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में विवाह संबंधी धार्मिक अधिकारों की परिभाषा और व्याख्या अलग-अलग होती है। इस्लाम में विवाह (निकाह) एक कानूनी अनुबंध होता है, जिसमें महर (वधू को दिया जाने वाला अनिवार्य वित्तीय उपहार) जैसी शर्तें रखी जाती हैं। हिंदू विवाह परंपरा में ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की संपत्ति पर स्वामित्व सीमित रहा है, लेकिन हाल के दशकों में कानूनों में सुधार कर उन्हें अधिक अधिकार दिए गए हैं। ईसाई और यहूदी परंपराओं में पारंपरिक रूप से महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित थी, विशेष रूप से विवाह संबंधी निर्णयों में, लेकिन आधुनिक युग में इन व्यवस्थाओं में प्रगतिशील बदलाव आए हैं। विभिन्न देशों में विवाह से संबंधित अधिकारों को लेकर कानूनी ढांचे भिन्न होते हैं। कुछ देश धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) कानूनों को अपनाते हैं, जो पुरुषों और महिलाओं को विवाह में समान अधिकार प्रदान करते हैं। वहीं, कई देश ऐसे भी हैं जो धार्मिक कानूनों का पालन करते हैं, जिससे अक्सर पुरुषों को अधिक अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है।

इस्लामी न्यायशास्त्र में विवाह एक कानूनी अनुबंध के रूप में देखा जाता है, जिसमें महिलाओं के वित्तीय अधिकारों की शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं। हालांकि, इन शर्तों की व्याख्या क्षेत्रीय परंपराओं और धार्मिक व्याख्याओं के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ इस्लामी देशों में महिलाओं को तलाक लेने का सीमित अधिकार है, जबकि अन्य में खुला (महिला द्वारा तलाक की प्रक्रिया) को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके लिए अक्सर आर्थिक या सामाजिक समझौते करने पड़ते हैं। हिंदू धर्म में विवाह को एक धार्मिक और सामाजिक संस्था माना जाता है, जिसमें पारंपरिक रूप से महिलाओं को संपत्ति पर सीमित अधिकार दिए जाते थे। हालांकि, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act, 2005) जैसे कानूनी सुधारों ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए हैं, जिससे विवाह में उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ी है। इसके बावजूद, भारत और अन्य हिंदू-बहुल समाजों में दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं आज भी मौजूद हैं, जो महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। ईसाई और यहूदी परंपराओं में ऐतिहासिक रूप से विवाह से संबंधित निर्णयों में महिलाओं की भूमिका सीमित थी। उदाहरण के लिए, पारंपरिक ईसाई कानूनों में तलाक की प्रक्रिया कठिन थी और महिलाओं को संपत्ति के मामलों में कम अधिकार मिलते थे। लेकिन बीसवीं सदी में पश्चिमी देशों में कानूनों में बड़े बदलाव हुए, जिससे महिलाओं को विवाह, संपत्ति और तलाक में अधिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हुई।

3. सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

विवाह केवल एक व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, बल्कि यह महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता को गहराई से प्रभावित करता है। विभिन्न धार्मिक परंपराएं और उनके द्वारा निर्धारित विवाह-संबंधी नियम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ समाजों में विवाह से जुड़े धार्मिक अधिकार महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, जबकि अन्य में ये अधिकार उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। इस खंड में, शिक्षा और रोजगार तक महिलाओं की पहुंच, संपत्ति और उत्तराधिकार अधिकार, तथा तलाक और आर्थिक स्वतंत्रता पर विवाह-संबंधी धार्मिक अधिकारों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। कई समाजों में विवाह से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों को नियंत्रित करती हैं। कुछ पारंपरिक समाजों में विवाह को महिलाओं के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, जिससे उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने और व्यावसायिक करियर बनाने की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। विशेष रूप से, प्रारंभिक या जबरन विवाह की प्रथा महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्र आर्थिक पहचान बनाने के अवसरों से वंचित कर सकती है। उदाहरण के लिए, कई दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों में लड़कियों की कम उम्र में शादी होने के कारण वे स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। इसके विपरीत, कुछ प्रगतिशील धार्मिक संदर्भों में विवाह-संबंधी अधिकार महिलाओं की शिक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ मुस्लिम देशों में विवाह अनुबंधों में यह प्रावधान किया जाता है कि महिला अपनी शिक्षा जारी रख सकती है और काम करने की स्वतंत्रता रखेगी। इसी तरह, ईसाई और यहूदी समाजों में भी हाल के वर्षों में धार्मिक संस्थाओं ने महिलाओं की शिक्षा और व्यावसायिक विकास को समर्थन देना शुरू किया है। जब विवाह-संबंधी धार्मिक अधिकार महिलाओं को शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता की अनुमति देते हैं, तो इससे उनकी सामाजिक गतिशीलता (social mobility) में सुधार होता है और वे अधिक आत्मनिर्भर बन पाती हैं।

4. संपत्ति और उत्तराधिकार अधिकार

संपत्ति और उत्तराधिकार कानून, जो अक्सर धार्मिक सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होते हैं, महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पारंपरिक रूप से, कई धर्मों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम संपत्ति अधिकार दिए गए हैं, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होती है। इस्लामी कानून में महिलाओं को पुरुषों के आधे के बराबर उत्तराधिकार मिलता है। उदाहरण के लिए, एक मुस्लिम महिला अपने पिता की संपत्ति में अपने भाई की तुलना में आधी हिस्सेदार होती है। हालांकि, इस्लामी व्यवस्था में महिलाओं के लिए महर (शादी के समय दिया जाने वाला वित्तीय उपहार) और विवाह के दौरान पति की वित्तीय जिम्मेदारी जैसे प्रावधान उनकी आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक सुरक्षित करते हैं, लेकिन यह आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देते। इसके विपरीत, हिंदू और ईसाई परंपराओं में संपत्ति अधिकारों में सुधार हुआ है। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act, 2005) में संशोधन कर महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया गया है। इसी तरह, ईसाई बहुल देशों में महिलाओं को तलाक और उत्तराधिकार में समान संपत्ति अधिकार मिलने लगे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता बढ़ी है। इन सुधारों के बावजूद, व्यावहारिक रूप से कई महिलाओं को पारिवारिक दबाव और सामाजिक रीतियों के कारण अपने उत्तराधिकार अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। संपत्ति और उत्तराधिकार अधिकारों में असमानता महिलाओं के आर्थिक आत्मनिर्भरता को कमजोर करती है और उन्हें विवाहित जीवन में वित्तीय निर्भरता के दायरे में बनाए रखती है। जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर संपत्ति अधिकार दिए जाते हैं, वहां वे अधिक आर्थिक रूप से सुरक्षित होती हैं और विवाह में उनकी स्थिति अधिक सशक्त होती है।

5. तलाक और आर्थिक स्वतंत्रता

तलाक से संबंधित धार्मिक कानून महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक हैं। अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में तलाक की प्रक्रिया, महिलाओं के अधिकार, और इसके आर्थिक परिणाम भिन्न होते हैं। इस्लामी कानून में महिलाओं को खुला (महिला द्वारा तलाक की प्रक्रिया) के माध्यम से तलाक लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसके आर्थिक परिणाम अलग-अलग परिस्थितियों में भिन्न हो सकते हैं। कई मुस्लिम देशों में तलाक के बाद महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलती है, लेकिन कई मामलों में यह अस्थायी होती है और महिलाओं को स्थायी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। हिंदू और ईसाई परंपराओं में तलाक के अधिकार ऐतिहासिक रूप से अधिक सीमित रहे हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के नियमों को समय के साथ उदार बनाया गया है, लेकिन कई महिलाओं के लिए तलाक के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करना आज भी एक चुनौती बनी हुई है। इसी तरह, ईसाई विवाह परंपराओं में तलाक लंबे समय तक कठिन और सामाजिक रूप से कलंकित रहा, लेकिन आधुनिक कानूनों ने महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता दी है। तलाक के आर्थिक प्रभाव विशेष रूप से उन समाजों में गंभीर होते हैं जहां महिलाओं को विवाह में वित्तीय सुरक्षा नहीं दी जाती है। यदि महिलाओं को संपत्ति और भरण-पोषण में सीमित अधिकार मिलते हैं, तो तलाक के बाद वे वित्तीय संकट का सामना कर सकती हैं। इसके विपरीत, जहां महिलाओं को विवाह में समान संपत्ति और वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं, वहां तलाक के बाद भी वे आत्मनिर्भर बनी रह सकती हैं।

6. धार्मिक अधिकार और आर्थिक परिणाम

इस्लामी संदर्भ: विवाह और वित्तीय सुरक्षा: मुस्लिम-बहुल देशों में विवाह को एक कानूनी अनुबंध के रूप में देखा जाता है, जिसमें महिलाओं के लिए कुछ वित्तीय सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण महर (दुल्हन को दिया जाने वाला अनिवार्य वित्तीय उपहार) होता है, जिसे विवाह अनुबंध में उल्लेख किया जाता है। महर विवाह के समय या बाद में पत्नी को भुगतान किया जाता है, जो उसे आर्थिक रूप से सशक्त करने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा, इस्लामी कानूनों में यह भी प्रावधान किया गया है कि विवाह के दौरान पति पत्नी की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायी होता है। हालांकि, इन वित्तीय सुरक्षा उपायों के बावजूद, इस्लामी समाजों में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता कई चुनौतियों का सामना करती है। कई मुस्लिम देशों में महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार सीमित होते हैं। इस्लामी उत्तराधिकार कानून (Sharia Inheritance Law) के अनुसार, एक बेटी अपने पिता की संपत्ति में अपने भाई के हिस्से का केवल आधा प्राप्त करती है। इस असमानता के कारण, महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा अक्सर विवाह के बाद उनके पति या परिवार पर निर्भर रहती है। इसके अतिरिक्त, कुछ इस्लामी समाजों में धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के कारण महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध होते हैं। रूढ़िवादी मुस्लिम समुदायों में विवाहित महिलाओं के काम करने को पारिवारिक मूल्यों के विपरीत माना जाता है, जिससे उनकी आय के स्रोत सीमित हो जाते हैं। हालांकि, कुछ मुस्लिम देशों, जैसे कि ट्यूनीशिया, तुर्की और इंडोनेशिया, में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए कानूनी सुधार किए गए हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर इन नीतियों को पूरी तरह लागू करने में अभी भी कठिनाइयां बनी हुई हैं।

हिंदू संदर्भ: भारत और अन्य हिंदू-बहुल देशों में विवाह को धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है, जिसमें पारंपरिक रूप से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सीमित रही है। ऐतिहासिक रूप से, हिंदू समाजों में महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया जाता था, और विवाह के बाद

उनकी वित्तीय सुरक्षा पूरी तरह उनके पति और ससुराल पर निर्भर करती थी। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में कानूनी सुधारों ने इस स्थिति में बदलाव किया है। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधन ने बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान उत्तराधिकार अधिकार प्रदान किए हैं। इस सुधार ने विवाहित महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत किया है और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में सहायता की है। इसके अलावा, हिंदू विवाह अधिनियम ने महिलाओं को विवाह के दौरान और तलाक की स्थिति में भी कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। हालांकि, कानूनी सुधारों के बावजूद, कुछ सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। भारत और दक्षिण एशियाई देशों में दहेज प्रथा आज भी एक बड़ी समस्या है। विवाह में दहेज की मांग महिलाओं के परिवारों पर आर्थिक बोझ डालती है और कभी-कभी यह विवाहित महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का कारण बनती है। इसके अलावा, कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक निर्भरता अभी भी अधिक बनी हुई है, और उन्हें पति की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ आधुनिक हिंदू परिवारों में, महिलाओं को शिक्षा और करियर में आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। लेकिन विवाह से संबंधित धार्मिक परंपराएं अभी भी कई महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में बाधा डालती हैं।

ईसाई संदर्भ: पारंपरिक रूप से, ईसाई धर्म में विवाह महिलाओं के लिए एक प्रतिबंधात्मक संस्था थी, जिसमें पति को परिवार का प्रमुख माना जाता था और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के सीमित अवसर मिलते थे। ईसाई परंपराओं में तलाक को सामाजिक और धार्मिक रूप से हतोत्साहित किया जाता था, जिससे महिलाओं के लिए विवाह छोड़ना और स्वतंत्र जीवन जीना कठिन हो जाता था। हालांकि, 20वीं सदी में पश्चिमी देशों में कानूनी सुधारों और धर्मनिरपेक्ष कानूनों के प्रभाव से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। तलाक के मामलों में समान संपत्ति विभाजन जैसे कानून लागू किए गए हैं, जिससे विवाहित महिलाओं को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिली है। अमेरिका, कनाडा, और यूरोप के कई देशों में महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार कानूनों में समानता, और कार्यस्थल पर समान अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बन सकी हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी देशों में विवाह कानूनों को धर्मनिरपेक्ष आधार पर विकसित किया गया है, जिससे महिलाओं को करियर बनाने और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की अधिक स्वतंत्रता मिली है। अधिकांश पश्चिमी समाजों में महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं, पेशेवर करियर बना सकती हैं, और विवाह में समान अधिकारों का आनंद ले सकती हैं। हालांकि, कुछ पारंपरिक ईसाई समुदायों में अभी भी विवाह में पुरुष प्रधानता की मान्यता बनी हुई है, लेकिन कानूनी और सामाजिक परिवर्तनों ने महिलाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में सहायता की है।

7. निष्कर्ष

विभिन्न धर्मों में विवाह के नियम और परंपराएं महिलाओं के लिए कुछ वित्तीय सुरक्षा उपाय प्रदान करती हैं, लेकिन कई मामलों में ये अधिकार पुरुषों के पक्ष में झुके होते हैं, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक गतिशीलता बाधित होती है। इस्लामी संदर्भ में, महर और पति की वित्तीय जिम्मेदारी जैसी प्रथाएं महिलाओं को कुछ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन उत्तराधिकार में असमानता और कई मुस्लिम समाजों में महिलाओं के रोजगार पर सामाजिक पाबंदियां उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता में बाधा डालती हैं। हिंदू धर्म में कानूनी सुधारों, विशेष रूप से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (2005) ने महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए हैं, लेकिन दहेज प्रथा और विवाहित महिलाओं की वित्तीय निर्भरता जैसी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। ईसाई बहुल पश्चिमी देशों में कानूनी सुधारों ने विवाह में समानता को बढ़ावा दिया है, जिससे महिलाओं को संपत्ति अधिकार और तलाक के बाद वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिली है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि केवल कानूनी सुधार पर्याप्त नहीं हैं।

कई समाजों में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, भले ही कानून उन्हें समान अधिकार प्रदान करता हो। उदाहरण के लिए, कई दक्षिण एशियाई देशों में, भले ही महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया गया हो, सामाजिक दबाव और पारिवारिक परंपराएं अक्सर उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने से रोकती हैं। इसी तरह, कुछ इस्लामी देशों में कानूनी रूप से महिलाओं को काम करने की अनुमति है, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के कारण उन्हें व्यावसायिक अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। इसलिए, महिलाओं के विवाह-संबंधी धार्मिक अधिकारों में सुधार लाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। सरकारों को ऐसे कानून बनाने और लागू करने चाहिए जो महिलाओं को उनके धार्मिक विवाह अधिकारों के भीतर अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। इसके अलावा, शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर मानसिकता बदलने की जरूरत है। धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को भी यह सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए कि विवाह से जुड़े धार्मिक नियम महिलाओं को उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित करने का माध्यम न बनें।

संदर्भ

अब्दुल्लाह, फातिमा (2022). इस्लामी विवाह कानून और महिलाओं के वित्तीय अधिकार: एक तुलनात्मक अध्ययन। नई दिल्ली: इस्लामिक स्टडीज पब्लिकेशन।

शर्मा, राधिका (2023). हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और महिलाओं के संपत्ति अधिकार: एक ऐतिहासिक विश्लेषण। वाराणसी: भारतीय विधि अनुसंधान संस्थान।

चटर्जी, संदीप (2022). पश्चिमी ईसाई समाजों में विवाह और महिलाओं के अधिकार: एक आधुनिक दृष्टिकोण। कोलकाता: सामाजिक अध्ययन प्रकाशन।

सिंह, कविता (2023). भारतीय समाज में दहेज प्रथा और विवाह-संबंधी आर्थिक असमानता। नई दिल्ली: नारी शक्ति प्रकाशन।

जॉनसन, माइकल (2022). धर्म, विवाह और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

पाटिल, मीना (2023). समकालीन भारत में विवाह कानून और महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता। पुणे: समाजशास्त्र अध्ययन केंद्र।

यसुफ़, सलीमा (2022). महिलाओं के विवाह अधिकार और इस्लामी उत्तराधिकार कानून: कानूनी और सामाजिक प्रभाव। कराची: पाकिस्तान लॉ जर्नल।